

सभी संबधित

पुणे मंडल

**संरक्षा परिपत्र संख्या 02 / 2011**

**विषय** – सिगनल एवं दूरसंचारके कर्मचारीयों को कार्य के दौरान ध्यान में रखने के लिए साधारण एवं सहायक नियम 1999 आवृत्तिके कुछ नियमों की सूची ।

**संदर्भ** – साधारण एव सहायक नियम 1999

अपने दैनंदिन कार्य को करते समय सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को उपयोग में लाने के लिए कुछ जरूरी नियमों को दिया जा रहा है । यह नियम कर्मचारियों के लिए मदतगार होंगे तथा उनका ज्ञान बढ़ाने में सहायता करेंगे ।

सिगनल एवं दूरसंचारके कर्मचारीयों को कार्य करते समय उपयोग में आनवाले साधारण एव सहायक नियम 1999 के नियमों की सूची ।		
क्रं.	नियम	विषय
1.	साधारण नियम 2.09	मदिरा तथा अन्य नशीली, खुमारी, बेहोशी, नींद लानेवाली या उत्तेजक दवाओं या उससे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन न करना ।
	सहायक नियम 2.09.1	साधारण नियम 2.09 के नुसार पर्यवेक्षक द्वारा सुनिश्चित करना ।
2.	सहायक नियम 3.26-3(b)	<b>सिगनलों की न्यूनतम दृश्यता दूरी</b> i) दूर ( डिस्टेन्ट) सिगनल 400 मीटर्स ii) स्टेशन पर प्रत्येक सिगनल की स्थिति गाड़ी आने की दिशा से प्रत्येक सिगनल उसके पूर्व के सिगनल से दिखाई देना चाहिये । जहां पर सिगनलों की पर्याप्त दूरी उपलब्ध न कराई जा सके वहां पर आवर्तक ( रिपीटर) या को एकटीग सिगनल लगाया जाना चाहिये । यदि ऐसा संभव न हो तो वहां पर उचित गति प्रतिबंध लगाना चाहिये ।
	साधारण नियम - 3.27	हस्तचलित बहुसंकेती सिगनलवाले स्टेशनोंपर स्थावर सिगनलों के न्यूनतम उपस्कर
3.	साधारण नियम 3.37 (1) और (2)	सिगनलों के सामान्य संकेत
4.	साधारण नियम 3.51(3) सहायक नियम 3.51-1, 3.51-2, 3.51-3	बिना अनुमती के सिगनलो तथा काँटो में हस्तक्षेप । डिसकनेक्ट मेमो के शिवाय काँटो और सिगनलों को अलग-अलग (डिसकनेक्ट) करना ।
5.	साधारण नियम 3.04, 3.05	सिगनलों तथा सिगनल भुजाओं की स्थापना, सिगनल भुजाओं की पेंटीग

6.	साधारण नियम 3.07(4)	रंगीन बत्ती वाले दूर ( डिस्टेंट) सिगनलों के संकेत
	सहायक नियम 3.07 (1)	(डबल डिस्टेंट) सिगनल
	साधारण 3.08 (4) (b)	बहु संकेती सिगनल व्यवस्था क्षेत्र में रंगीन बत्तीवाले पोक (स्टाप) सिगनल
	सहायक नियम 3.08-1	बहु संकेती सिगनल क्षेत्र में जक्शन प्रकार के रूट इन्डीकेटर
	साधारण नियम – 3.17	सिगनलों के पहचान चिन्ह तथा निशान
	साधारण नियम 3.18	प्रयोग में न आने वाले सिगनल
	सहायक नियम 3.19-1	
	साधारण नियम 3.36	स्थावर सिगनल
	सहायक नियम 3.36-3	यह, सुनिश्चित करेंगे कि सिगनल के हथके की स्थिति, उसको प्रचालित करनेवाले लीवर के अनुरूप हो ।
	साधारण नियम 3.49	सिगनल बत्तियों की देखभाल और उन्हें जलाना ।
	सहायक नियम 6.02-4(1)	संचार साधनों के पूर्णतः बाधित हो जाना ।
	साधारण नियम 8.01	पूर्ण ब्लाक पध्दति के आवश्यक बातें ।
	सहायक नियम 8.01.-1	ब्लाक और ब्लाक पध्दति की आवश्यक बातें ।
	साधारण नियम 9.01	स्वचलित ब्लाक पध्दति की आवश्यक बातें ।
	साधारण नियम 9.03	इकहरी (सिंगल) लाइन पर स्वचलित ब्लाक पध्दति की आवश्यक बातें ।
	सहायक नियम 16.01.01	गेटमन सक्षमता प्रमाणपत्र
	सहायक नियम 17.03.5(4)	बिजली उपस्कर क्षेत्र वाली खतरा स्थान पर कार्य करना ।
	सहायक नियम 4.09 (टिप्पणी)	सतर्कता आदेश को जारी करना ।
	मद क्रं. 9 , 12, 14	
	सहायक नियम 4.09 IV	विशेष पूर्वापायों को अधिसूचित/ रद्द करने की कार्य पध्दति ।
	सहायक नियम 4.09 II	सूचना भेजना ।

उपर्युक्त सूची में दिए गये नियम अतिरिक्त नहीं हैं, यह नियम कर्मचारियों को तत्पर मार्गदर्शक हेतु दिए गये हैं ।

( सु. रविचंद्रन )

मंडल संरक्षा अधिकारी / पुणे

संरक्षा  
परिपत्र



02 / 2011

Safety  
Circular



Prepared by : Pravin N. Dargude Patil

**विषय -** सिग्नल एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को कार्य के दौरान ध्यान में रखने के लिए साधारण एवं सहायक नियम 1999 आवृत्ति के कुछ नियमों की सूची ।

**Subject -** List of few rules from G & SR 1999 edition during working of S & T staff.

**संरक्षा पूर्वक काम किजिए और मुस्कुराते हुए घर जाइए ।**

**घोषणा -** इस संरक्षा परिपत्र के साथ संलग्न जानकारी केवल गाड़ी गुजारने, गाड़ी चलानेवाले कर्मचारी, पर्यवेक्षक और निरीक्षणकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए है, कोई दुर्घटना जांच या अन्य किसी प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए । विषय के संबंध में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है परंतु त्रुटि गलती आदि के कारण किसी भूल के लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित न किया जाए । दुर्घटना के समय और संबंधित मामलों के लिए संबंधित नियमावली में दिए गए विशिष्ट प्रावधान इस परिपत्र की जानकारी से अधिक प्रबल रहेंगे ।

**Disclaimer: -** The Contents of the enclosed Safety Circular is meant only for the guidance of train passing, train running, Supervisory & inspecting officials and should not be used as evidence for any accident enquiry or any other purpose. Every effort has been made to incorporate important aspects related with the subject but no responsibility whatsoever is to be fixed for any error due to omission, oversight etc. During accidents & matters related with them, the specific provisions contained in the relevant manual will prevail over the contents of this circular.